


03.07.2024:-पत्रावली पेशी मे ली आई। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन
पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक
कार्यवाही नही हो रही है। पत्रावली तलबी स्तर पर
लंबीत ह। वादी व वादी वकील उपस्थित नही आ
रहे। वादी व वादी अधिवक्ता को बार बार आवाज
लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व
प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण
प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

